नंबर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रूजदार खां बनाम वकील खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढ़ा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.06.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 नं0 248 रकबा 0.5600हे0, 249 रकबा 0.5600हे0 किता 2 रकबा 1.12हे0 वाके चामरोदा तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं कोई किसी प्रकार का कच्चा पक्का नवीन निर्माण नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 23.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

23/6/25 वकील पक्षकारान उप0 वास्ते जवाब प्रा0पत्र दिनांक 30/6 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

30/6/25 वकील पक्षकारान उप0/ वास्ते जवाब प्रा0 पत्र दिनांक 4 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्रा०पत्र का मूलवाद जरिये प्रा० पत्र विड्रा किया जा चुका है। अत: प्रा०पत्र अब RTA की जरिये प्रा०पत्र विड्रा। खारिज किया जाता है। प्रा०पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

नि०

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)